मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या ६०/२०२१ (एम.ए.सी.पी. सं. ४२३/२०१८)
राघवेन्द्र सिंह आदि बनाम मातादीन आदि
१२.०३.२०२१

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण राघवेन्द्र सिंह, श्रीमती नीतू, जगदीश सिंह एवं श्रीमती देवकंवर द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक २२ .०१.२०२१ को राजीनामा के आधार पर ₹६,००,००० का एवार्ड पारित किया गया था। बीमा कम्पनी द्वारा न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में क्षतिपूर्ति धनराशि न्यायाधिकरण के सिंडीकेट बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा , झाँसी में स्थानान्तरित कर दी गई है। प्रार्थीगण/याचीगण ने उक्त जमाशुदा धनराशि मय ब्याज उन्हें दिलाये जाने की याचना की है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थी राघवेन्द्र सिंह का शपथपत्र ५सी२ , अपने आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की हैं।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण में मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को ३बी प्रार्थनापत्र पर सुना तथा प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद एवं एम .ए.सी.पी. सं.४२३/२०१८ राघवेन्द्र सिंह आदि बनाम मातादीन आदि की पत्रावली एवं कार्यालय आख्या का अवलोकन किया। प्रार्थी राघवेन्द्र सिंह ने अपने शपथपत्र ५सी२ में ३बी प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया है कि न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कोई स्थगन नहीं है और न ही अपील विचाराधीन है। कार्यालय आख्या के अनुसार चेक रजिस्टर के क्रमाँक ४६ पर ट्रांजेक्शन नं. CMS1783937499 द्वारा दिनाँक २५.०१.२०२१ को ₹६,००,००० सिंडीकेट बैंक शाखा गोविन्द चौराहा, झाँसी में जमा होने का विवरण उपलब्ध है। मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक २२.०१.२०२१ को सुलहनामा के आधार ₹६,००,००० का एवार्ड पारित किया गया है, जिसमें से याचीगण को प्राप्त होने वाली धनराशि में से ७० प्रतिशत भाग उनके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वोच्च दर देने वाली सावधि जमा योजना के अन्तर्गत ३–३ वर्ष के लिये निवेशित की जानी है तथा उनको प्राप्त होने वाली शेष प्रतिकर की राशि वे अपने बैंक खाते में जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट नकद प्राप्त कर सकेंगे। प्रार्थीगण सं. १ लगायत ४ राघवेन्द्र सिंह, श्रीमती नीतू, जगदीश सिंह एवं श्रीमती देवकंवर मृतक के क्रमशः पिता, माता, दादा एवं दादी हैं। अतः उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचीगण सं.१ लगायत ४ को क्रमशः ४०, ४०, १० एवं १० प्रतिशत भाग दिलाया जाना न्यायोचित होगा। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

सिंडीकेट बैंक शाखा गोविन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ४२३/२०२१ (प्रकीर्ण वाद सं. ६०/२०२१ राघवेन्द्र सिंह आदि बनाम मातादीन आदि) के प्रकरण में जमाशुदा उक्त प्रतिकर की धनराशि ₹६,००,००० मय अर्जित ब्याज प्रार्थीगण/याचीगण को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर देंः–

Applicant/ Petitioner	Amount in Rs.	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Raghvendra Singh	168000	28	FD for 3 Years in any Nationalized Bank Carring highest Interest.	___	Any Nationalized Bank	____
1. Raghvendra Singh	72000	12	Elect.Mode RTGS/NEFT	110000813369	Canara Bank Govind Chauraha, Jhansi	CNRB0019235
2. Neetoo Devi	168000	28	FD for 3 Years in any Nationalized Bank Carring highest Interest.	___	Any Nationalized Bank	____
2. Neetoo Devi	72000	12	Elect.Mode RTGS/NEFT	693410110014541	Bank of India Ram Nagar Tiraha Main At Post Chirgaon, Jhansi	BKID0006934
3. Jagdish Singh	42000	7	FD for 3 Years in any Nationalized Bank	----	Any Nationaliz	____

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.03.19 19:10:33 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribinal Jhansi

			Carring highest Interest.		ed Bank	
3. Jagdish Singh	18000	3	Elect.Mode RTGS/NEFT	005802200004281	District Co-0perative Bank Chirgaon, Jhansi	ICIC00ZSBLJ
4. Smt Devakanwar	42000	7	FD for 3 Years in any Nationalized Bank Carring highest Interest.	----	Any Nationalized Bank	____
4. Smt Devakanwar	18000	3	Elect.Mode RTGS/NEFT	110000813460	Canara Bank Govind Chauraha, Jhansi	CNRB0019235
Total	600000	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई–मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। उक्तानुसार एफ.डी.आर. मूल रूप में न्यायाधिकरण में अबिलंब प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।